

वृद्धजन की सामाजिक स्थिति : सामाजिक उपेक्षा और समर्थन के सैद्धांतिक पहलू

श्रीमती ऋतु जैन
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय,
छपरौली (बागपत)
ई-मेल : ritu16081970@gmail.com

सारांश

यह शोध पत्र वृद्धजन की सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उनकी सामाजिक उपेक्षा और समर्थन की चुनौतियों को सैद्धांतिक ढाँचे में समझने का प्रयास किया गया है। आधुनिक समाज में शहरीकरण, औद्योगीकरण, परिवार की संरचना में बदलाव और उपभोक्तावादी जीवनशैली ने बुजुर्गों की भूमिका और स्थिति को हाशिए पर पहुँचा दिया है। पारंपरिक संयुक्त परिवारों की टूटन और व्यक्तिगत जीवन मूल्यों में वृद्धि के कारण वृद्धजन सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक दृष्टि से उपेक्षित होते जा रहे हैं।

इस शोध पत्र में संरचनात्मक-कार्यात्मक सिद्धांत के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि वृद्धजन समाज की स्थिरता और पीढ़ीगत ज्ञान हस्तांतरण में कैसे योगदान करते हैं, जबकि उनके प्रति सामाजिक उपेक्षा समाज की संरचना में असंतुलन को दर्शाती है। वहीं संघर्ष सिद्धांत वृद्धजन को आर्थिक उत्पादन से बाहर कर दिए गए वर्ग के रूप में देखता है, जिन्हें संसाधनों और सम्मान से वंचित कर दिया जाता है। प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया सिद्धांत वृद्धों की आत्म-पहचान और सामाजिक भूमिका के क्षरण को उजागर करता है।

यह शोध पत्र यह भी बताता है कि वृद्धजन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जैसे राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक कार्ड इनज इनकी पहुँच और प्रभावशीलता सीमित है। सामाजिक समर्थन तंत्र जैसे परिवार, समुदाय और सामाजिक संस्थाएँ यदि सक्रिय भूमिका निभाएँ, तो वृद्धजन की गरिमा पूर्ण जीवन की संभावनाएँ सशक्त हो सकती हैं।

मुख्य शब्द: वृद्धजन, सामाजिक उपेक्षा, सामाजिक समर्थन, आत्म-पहचान, वृद्धावस्था नीति, परिवार संरचना, सामाजिक न्याय, जनसांख्यिकीय संक्रमण आदि।

प्रस्तावना

मानव जीवन एक सतत सामाजिक प्रक्रिया है जो विभिन्न आयु-स्तरों से होकर गुजरती है और इनमें से प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएँ, भूमिकाएँ और चुनौतियाँ होती हैं। वृद्धावस्था जीवन का ऐसा ही एक चरण है, जो अनुभव, ज्ञान और सांस्कृतिक उत्तराधिकार का प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक भारतीय समाज में वृद्धजन को सम्मान, निर्णायक भूमिका और परिवार की नैतिक रीढ़ के रूप में देखा

जाता था। परंतु वर्तमान वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद के प्रभावों ने सामाजिक संरचना को इस रूप में प्रभावित किया है कि वृद्धजन की भूमिका और स्थिति में गंभीर परिवर्तन आए हैं।

आज वृद्धजन की सामाजिक स्थिति केवल जैविक आयु की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारिवारिक भूमिकाओं और राज्य की भूमिका से भी परिभाषित होती है। सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे-जैसे समाज में तकनीक और व्यक्तिगतता का प्रभाव बढ़ा है, वैसे-वैसे बुजुर्गों की पारंपरिक भूमिकाएँ सीमित होती चली गईं। इससे वृद्धजन उपेक्षा, अलगाव और कभी-कभी अमानवीय व्यवहार के शिकार होते हैं।^प

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्ध माना जाता है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार वृद्धजनों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है और यह अनुपात 2050 तक 20 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है।^{पप} यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल स्वास्थ्य या पेंशन से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है, जिसमें वृद्धजन की भूमिका, गरिमा और भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धजन की स्थिति को समझने के लिए संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया सिद्धांत और फेमिनिस्ट परिप्रेक्ष्य अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। पारसन्स का मानना है कि जैसे ही व्यक्ति सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग नहीं ले पाता, वैसे ही समाज उसे 'पार्श्व में' कर देता है।^{पपप} वहीं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य वृद्धजनों को एक आर्थिक रूप से 'गैर-उपयोगी वर्ग' के रूप में देखता है, जो पूँजीवादी व्यवस्था में हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं।

यह शोध पत्र वृद्धजन की सामाजिक स्थिति को केवल आंकड़ों के माध्यम से नहीं, बल्कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वृद्धावस्था में आने वाले सामाजिक बदलाव केवल पारिवारिक या जैविक नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़े हुए हैं।

इस शोध पत्र की प्रासंगिकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि वृद्धजन की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, गरिमा, आत्मनिर्भरता और सहभागिता के अवसरों को सुनिश्चित करना आज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता बन गई है।

वृद्धावस्था की समाजशास्त्रीय अवधारणा

वृद्धावस्था जीवन की वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति जैविक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धावस्था केवल आयु आधारित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक भूमिका, परिवार में स्थान, आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सहभागिता से भी परिभाषित होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 'वरिष्ठ नागरिक' की श्रेणी में रखा है। वृद्धावस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं शारीरिक क्षमताओं में कमी, सामाजिक

संबंधों में संकुचन, आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य समस्याओं की वृद्धि और सामाजिक पहचान का क्षरण। समाज में वृद्ध व्यक्ति की भूमिका तब तक प्रमुख रहती है जब तक वह उत्पादन और निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में सक्रिय होता है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण और वृद्ध जनसंख्या का बढ़ना

भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) की प्रक्रिया के चलते जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में गिरावट देखी जा रही है। इससे वृद्धजन की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.38 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत थी।^{पत्र} राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, वर्ष 2050 तक यह संख्या 19 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। यह वृद्धजन की बढ़ती आबादी एक ओर सामाजिक नीति के लिए चुनौती है तो दूसरी ओर सामाजिक समर्थन और देखभाल के लिए दबाव का संकेत भी देती है।

भारतीय समाज में वृद्धजन की पारंपरिक स्थिति

पारंपरिक भारतीय समाज में वृद्धजनों को विशेष आदर और निर्णयकारी भूमिका प्राप्त होती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था और जीवन के अनुभव के आधार पर उन्हें परामर्शदाता की भूमिका में रखा जाता था। धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वृद्धजनों को 'आश्रम व्यवस्था' के अंतर्गत वानप्रस्थ और संन्यास जैसी गरिमापूर्ण भूमिकाएँ दी गईं। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में वृद्धजनों के प्रति सम्मान और सेवा को कर्तव्य माना गया है।

वृद्धावस्था को जीवन का 'बुद्धिमत्ता युक्त' चरण माना जाता था जहाँ अनुभव, संयम और विवेक समाज को दिशा देने का कार्य करते थे। इस भूमिका में वृद्धजन न केवल परिवार के निर्णयों में भागीदारी करते थे, बल्कि सामाजिक मूल्यों और परंपराओं के वाहक भी होते थे।^अ

आधुनिकता, परिवार संरचना और वृद्धजन की स्थिति में परिवर्तन

आधुनिकता के प्रभाव, विशेष रूप से शहरीकरण, औद्योगीकरण और शिक्षा के प्रसार ने पारिवारिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है, जिसमें वृद्धजनों की भूमिका सीमित हो गई है। युवा पीढ़ी की नौकरी के सिलसिले में महानगरों की ओर प्रवृत्ति और व्यक्तिगत जीवनशैली की प्राथमिकता ने बुजुर्गों को पारिवारिक और सामाजिक दायरे से अलग कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, बच्चों की देखरेख में बदलाव और परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण भी वृद्धों की परंपरागत भूमिका को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया में वृद्धजन भावनात्मक और सामाजिक उपेक्षा का अनुभव करते हैं। National Sample Survey (NSSO) की रिपोर्ट (2017-18) के अनुसार, भारत में लगभग 28 प्रतिशत वृद्धजन अकेले या पति-पत्नी के रूप में

जीवन यापन कर रहे हैं, जो पारिवारिक विघटन का संकेत देता है। संरचनात्मक—कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, समाज में हर भूमिका का एक कार्य होता है और जब कोई भूमिका अप्रासंगिक हो जाती है, तो समाज उसे हटाने की प्रवृत्ति अपनाता है।^{अप} वृद्धजन, जो पहले परामर्शदाता, संरक्षक और पालक थे, आज 'निर्भर' या 'अवांछित' की श्रेणी में रखे जाने लगे हैं। संघर्ष सिद्धांत यह मानता है कि समाज में संसाधनों का सीमित वितरण वृद्धों को एक 'कम उपयोगी' वर्ग बना देता है, जिससे उन्हें हाशिए पर पहुँचा दिया जाता है।^{अपप}

वृद्धजन की सामाजिक उपेक्षा के कारण

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली का बोलबाला रहा है, जिसमें वृद्धजन को परिवार की धुरी माना जाता था। वे निर्णयों में भागीदारी करते थे, परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाते थे और बच्चों के पालन—पोषण में योगदान देते थे। परंतु बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से भारत में औद्योगीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया ने परिवार की संरचना को एकल परिवार की दिशा में मोड़ दिया। जब युवा सदस्य काम के सिलसिले में महानगरों की ओर पलायन करते हैं, तो वृद्धजन पीछे छूट जाते हैं या साथ रहने पर भी उनकी सामाजिक और पारिवारिक भूमिका सीमित हो जाती है। यह प्रक्रिया वृद्धजन के सामाजिक अलगाव को जन्म देती है।^{अपपप}

आर्थिक निर्भरता और बेरोजगारी

आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धजन के आत्म—सम्मान और सामाजिक स्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु भारतीय संदर्भ में अधिकांश वृद्धजन आय सृजन से बाहर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजन कृषि या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, किंतु वृद्धावस्था में उनकी कार्यक्षमता घटने पर उन्हें आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सीमित पहुँच, पेंशन की अनुपलब्धता और निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का अभाव इस स्थिति को और गंभीर बनाता है। बेरोजगारी की उच्च दर और युवाओं में प्रतिस्पर्धा ने वृद्धों के अनुभव को अप्रासंगिक बना दिया है। आज का समाज उत्पादन—आधारित मूल्य प्रणाली को मान्यता देता है, जिससे गैर—उत्पादक वर्ग, विशेष रूप से वृद्धजन, को अप्रत्यक्ष रूप से 'बोझ' समझा जाने लगता है।^{पप}

स्वास्थ्य और देखभाल की समस्याएँ

वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे दृष्टि दोष, श्रवण शक्ति में कमी, हड्डियों की कमजोरी, हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक अवसाद अधिक सामान्य हो जाते हैं। परंतु वृद्धजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य कार्यक्रम (NPHCE) जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित पहुँच रखती हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएँ वृद्धजनों के लिए अत्यधिक महँगी हैं, जिससे वे इलाज से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, देखभाल की व्यवस्था भी टूटती जा रही है। संयुक्त परिवारों में जहाँ परिवार के सदस्य वृद्धों की देखभाल करते थे, अब एकल परिवारों में

इस भूमिका का निर्वहन कठिन हो गया है। कई बार वृद्धजनों को न केवल चिकित्सा से वंचित रहना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।⁷

सामाजिक अलगाव, भावनात्मक उपेक्षा और आत्मसम्मान का ह्रास

वृद्धजन की सामाजिक उपेक्षा केवल आर्थिक और शारीरिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी दिखाई देती है। परिवार के सदस्य समय के अभाव, कार्यभार और व्यक्तिगत जीवन शैली के चलते वृद्धजनों के साथ संवाद और स्नेह संबंध बनाए नहीं रख पाते। वृद्धजन में यह भावना घर कर जाती है कि वे अब समाज के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। यह भावनात्मक उपेक्षा धीरे-धीरे सामाजिक अलगाव और आत्मसम्मान के ह्रास को जन्म देती है। समाजशास्त्री गोफमैन (1959) ने इस स्थिति को सामाजिक पहचान का क्षरण कहा है, जहाँ व्यक्ति अपनी पारंपरिक भूमिका खो देता है और समाज में उसका 'मंच' सीमित हो जाता है।⁸ यह स्थिति वृद्धजनों को अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और जीवन से मोहभंग की ओर ले जाती है।

डिजिटल डिवाइड और वृद्धों की तकनीकी पहुंच की कमी

21वीं सदी में डिजिटल माध्यमों ने सूचना, संवाद और सेवाओं की पहुंच को आसान बना दिया है, लेकिन तकनीकी बदलावों ने वृद्धजनों को पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती भूमिका ने वृद्धजनों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे कर दिया है। बैंकिंग, चिकित्सा परामर्श, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ अब डिजिटल माध्यमों पर केंद्रित हैं, जिनमें वृद्धजन की भागीदारी नगण्य है। 'डिजिटल डिवाइड' वृद्धजन के लिए नई प्रकार की सामाजिक बाधा बन गई है, जो उन्हें न केवल तकनीकी रूप से वंचित करती है, बल्कि उनकी सामाजिक सहभागिता को भी सीमित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि वृद्धजन समाज से कटने लगते हैं और स्वयं को अनुपयोगी महसूस करते हैं।

सामाजिक समर्थन और नीतिगत प्रयास

भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से वृद्धजनों की देखभाल और समर्थन की जिम्मेदारी परिवार और समुदाय पर आधारित रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली में वृद्धजनों को सम्मान, स्नेह और संरक्षण प्राप्त होता था। वे परिवार के निर्णयों में भागीदार होते थे और सांस्कृतिक ज्ञान के हस्तांतरणकर्ता माने जाते थे। परंतु आधुनिक शहरी जीवनशैली, एकल परिवारों की वृद्धि और युवाओं के पलायन ने पारंपरिक सहयोग प्रणाली को कमजोर कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप वृद्धजन की देखभाल की जिम्मेदारी अब संस्थागत और नीतिगत ढांचे की ओर स्थानांतरित हो रही है।⁹ जहाँ परिवार आज भी सक्रिय है, वहाँ वृद्धजनों का जीवन अपेक्षाकृत गरिमापूर्ण और सुरक्षित बना रहता है।

गैर-सरकारी संस्थाएँ और वृद्धजन सेवाएँ

गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने वृद्धजन कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संस्थाएँ वृद्धजनों के लिए न केवल आश्रय प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, मनोरंजन और सामुदायिक सहभागिता के अवसर भी उपलब्ध कराती हैं। हेल्पएज इंडिया जैसी संस्थाएँ वृद्धजनों की आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक सहायता के लिए सक्रिय हैं। ये संस्थाएँ वृद्धजनों की आवाज़ बनकर सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को रखने का कार्य भी करती हैं।^{गपप} इनकी पहुँच अभी भी सीमित है और ग्रामीण इलाकों में इनकी सेवाओं का अभाव देखा जाता है।

वरिष्ठ नागरिक नीति (National Policy for Older Persons-1999)

भारत सरकार ने वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और उनकी सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 1999 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Older Persons-NPOP) की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, आश्रय और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। नीति में यह भी प्रावधान है कि वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और मनोरंजन केंद्र स्थापित किए जाएँगे। साथ ही, इसमें वृद्धजनों की गरिमा, भागीदारी और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है।^{गपअ} इस नीति का प्रभाव व्यावहारिक स्तर पर अपेक्षित नहीं रहा है। न तो इसकी व्यापक समीक्षा की गई और न ही इसका संशोधित संस्करण पर्याप्त रूप से कार्यान्वित किया गया। 2011 में एक नई नीति का मसौदा तैयार किया गया, किंतु अब तक उसका अंतिम क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धाश्रम, हेल्पलाइन सेवाएँ

भारत सरकार और राज्य सरकारें वृद्धजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही हैं, जैसे—

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- वृद्धाश्रमों की स्थापना (राज्य व केंद्र सहायता प्राप्त)
- हेल्पलाइन सेवाएँ, जैसे— Elder Line (टोल फ्री 14567)

IGNOAPS (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) के अंतर्गत 60—79 वर्ष के वृद्धजनों को ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।^{गअ} यह राशि अत्यंत न्यून है और बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है। वृद्धाश्रमों की स्थिति भी क्षेत्रीय असमानता से ग्रस्त है— शहरी क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित हैं। Elder Line जैसी हेल्पलाइन सेवाएँ हाल ही में शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य वृद्धजनों को स्वास्थ्य, कानूनी,

भावनात्मक और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इन सेवाओं से कई वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं, परंतु इनकी जागरूकता और पहुँच अब भी सीमित है।^{गअप}

इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

भारत में वृद्धजनों के लिए योजनाएँ तो अनेक हैं, परंतु उनकी प्रभावशीलता कई बाधाओं से प्रभावित होती है—

- योजनाओं के बारे में वृद्धजनों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती।
- कागजी प्रक्रियाएँ और डिजिटल रजिस्ट्रेशन वृद्धजनों के लिए कठिन हैं।
- स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक अक्षमता पाई जाती है।
- गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी है।

इन सभी समस्याओं के कारण वृद्धजन योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाते। सामाजिक सुरक्षा और गरिमा की दिशा में ये प्रयास केवल तभी सफल हो सकते हैं जब इन्हें वृद्धजनों की सामाजिक वास्तविकताओं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आर्थिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सरल और पहुँच योग्य बनाया जाए।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र "वृद्धजन की सामाजिक स्थिति : सामाजिक उपेक्षा और समर्थन के सैद्धांतिक पहलू" विषय पर आधारित रहा, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों की वर्तमान सामाजिक स्थिति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित करना था। इस शोध पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि वृद्धावस्था केवल जैविक परिवर्तन की अवस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक पहचान, आत्मसम्मान और सहभागिता के संदर्भ में गहराई से जुड़ी हुई सामाजिक प्रक्रिया है।

सबसे पहले, यह सामने आया कि पारंपरिक भारतीय समाज में जहाँ वृद्धजन को गरिमा, सम्मान और निर्णयकारी भूमिका प्राप्त थी, वहीं आधुनिकता, शहरीकरण, एकल परिवार व्यवस्था और उपभोक्तावादी जीवनशैली ने उनकी सामाजिक स्थिति को हाशिए पर पहुँचा दिया है। संयुक्त परिवार की टूटन ने वृद्धजनों की पारिवारिक भूमिका को सीमित कर दिया, जिससे वे सामाजिक अलगाव और उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं।

दूसरे, वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य समस्याएँ, भावनात्मक उपेक्षा और तकनीकी अवरोध जैसे मुद्दे उनकी सामाजिक असुरक्षा को बढ़ाते हैं। वृद्धजन समाज में उत्पादकता के आधार पर आँके जाते हैं, जिससे उनका अनुभव और ज्ञान अप्रासंगिक माना जाने लगता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण वृद्धजनों के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

तीसरे, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों जैसे संरचनात्मक-कार्यात्मक, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया और फेमिनिस्ट परिप्रेक्ष्य से यह समझने में सहायता मिलती है कि वृद्धजन की उपेक्षा केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत और संरचनात्मक असंतुलन का परिणाम है।

चौथे, सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक नीतियाँ और योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे NPOP-1999, वृद्धावस्था पेंशन योजना, हेल्पलाइन और वृद्धाश्रम हैल्पएज, इनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सराहनीय है, परंतु वे भी संसाधनों और क्षेत्रीय असमानताओं से बाधित हैं।

वृद्धजन के लिए केवल योजनाओं का निर्माण पर्याप्त नहीं है। समाज को उनके अनुभव, योगदान और गरिमा को पुनः मान्यता देनी होगी। सामाजिक शिक्षा, संवेदनशीलता, परिवार में संवाद और सहभागिता को बढ़ावा देकर वृद्धजनों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। यह तभी संभव होगा जब परिवार, समाज, राज्य और स्वयं वृद्धजन स्वयं को इस परिवर्तन की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार मानें।

संदर्भ

- चौधरी, पी.डी., 2005, एजिंग एंड द इंडियन सोसायटी, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, पृ०सं० 44
- भारत की जनगणना, 2011, भारत सरकार, नई दिल्ली
- पार्सन्स, टी., 1951, द सोशल सिस्टम, फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ०सं० 279
- भारत की जनगणना, 2011, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- चौधरी, पी.डी., 2005, एजिंग एंड द इंडियन सोसायटी, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, पृ०सं० 66
- पार्सन्स, टी., 1951, द सोशल सिस्टम, फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ०सं० 282
- टाउनसेड, पी., 1981, द स्ट्रक्चर्ड डिपेंडेंसी ऑफ द एल्डरली, एजिंग एंड सोसायटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ०सं० 12
- चौधरी, पी.डी., 2005, एजिंग एंड द इंडियन सोसायटी, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, पृ०सं० 85
- टाउनसेड, पी., 1981, द स्ट्रक्चर्ड डिपेंडेंसी ऑफ द एल्डरली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ०सं० 15
- एनएसओ, 2021, एल्डरली इन इंडिया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ०सं० 39
- गोफमैन, ई., द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, एंकर बुक्स, पृ०सं० 112

- चौधरी, पी.डी., 2005, एजिंग एंड द इंडियन सोसायटी, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, पृ०सं० 99
- हेल्पएज इंडिया, 2020, वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली, पृ०सं० 21
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 1999, एनपीओपी दस्तावेज़, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ०सं० 12
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2022, एनएसएपी दिशा-निर्देश, नई दिल्ली, पृ०सं० 9
- हेल्पएज इंडिया, 2022, स्टेट ऑफ एल्डरली इन इंडिया रिपोर्ट, नई दिल्ली, पृ०सं० 31